

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्री द्वारिका यादव दशई यादव ,निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक.30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44 , कुल रकबा 0.495 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं जिला के राजस्व विभाग के सक्षम पदाधिकारी के सत्यापन के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है ।
- क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44 जिसका खरीदगी रकबा 0.495 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2819 दिनांक 19.6.2014 के माध्यम से श्री द्वारिका यादव दशई यादव के द्वारा दिनेश यादव एवं बिनोद यादव पिता स्व. गोखुल यादव से खरीदगी की गयी थी, जिसका खतियानी रैयत सुगना, फुदना पिता लछुमन महतो एवं बरजू महतो पिता आशा महतो है।
2. श्री महेंद्र यादव पिता दशई यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44 , कुल रकबा 0.495 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।

- ख. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44 जिसका खरीदगी रकबा 0.495 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2821 दिनांक 21.6.2014 के माध्यम से श्री महेंद्र यादव पिता दशई यादव के द्वारा दिनेश यादव एवं बिनोद यादव पिता स्व. गोखुल यादव से खरीदगी की गयी थी, जिसका खतियानी रैयत सुगना, फुदना पिता लछुमन महतो एवं बरजू महतो पिता आशा महतो है।


अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभागाध्यक्ष / महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे , थाना सं: 50, जिला :- चतरा, खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं. 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44, कुल रकबा 0.495 एकड़ रैयती भूमि, एवं जो श्री द्वारिका यादव दशई यादव एवं खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं. 407, 428, 591, 753, 765, 429 एवं 44, कुल रकबा 0.495, श्री महेंद्र यादव पिता दशई यादव , जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

(sd/-)

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची


18/11/22